



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14995

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 627 वर्ष 2026

श्रीमती अर्चना शर्मा

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमित कुमार पांडे, राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय अधिकारी, अनूपशहर, जिला बुलनशहर को दिनांक 28.07.2025 के उनके अभ्यावेदन पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।
2. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवाद इस न्यायालय के समक्ष रिट बी संख्या 2687/2025 में विचाराधीन है, जो वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा 18.07.2025 का अंतरिम आदेश दिया गया था।
3. इस स्थिति में, न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की जा सकती।
4. तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है।
5. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को इस आदेश की एक प्रति प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय अधिकारी, अनूपशहर, जिला बुलनशहर को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"